

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2014/00255 (56/2014) 76 एलआरएक्ट द्वितीय अपील
गोपी राम पुत्र पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन बोझला तहसील भादरा जिला
हनुमानगढ़। -अपीलाण्ट

-: बनाम :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
- रेस्पोडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 09.06.2014 अपर जिला कलक्टर नोहर मु. नं.
15/2014 बअनवानी गोपीराम बनाम सरकार एवं नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक
14.03.2014 मु. नं. 01/2014 बअनवानी स्टेट बनाम गोपीराम

श्री हवासिंह जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक -09.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार राजस्व भादरा ने अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उसे नोटिस जारी किये। अपीलाण्ट के उपस्थित आने पर उसके द्वारा जवाब पेश किया। नायब तहसीलदार भादरा ने अपने आदेश दिनांक 14.03.2014 से पश्चार्तवर्ती अतिक्रमी घोषित किया एवं तावान तथा तीन माह के साधारण काशवास से दण्डित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील सं 15/2014 बअनवानी गोपीराम बनाम स्टेट श्रीमान अपर जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने प्रथम अपील अपने निर्णय दिनांक 09.06.2014 के द्वारा खारिज की है। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का 50-60 वर्षों से कब्जा काशत चली आ रही है इसलिए अपीलाण्ट कानूनी खतोदार काशतकार हो चुके हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। खातेदार काशतकार की घोषणा हेतु दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें निर्णय होना है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहुत कठोर निर्णय है। भूमि रिकार्ड में गैर मुमकिन गोचर दर्ज है लेकिन काबिल काशत भूमि है जो हमेशा से ही काशत होती आ रही है ग्रमवासियों



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा कभी भी सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित अवसर नहीं दिया है। अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए मातहत अदालत ने स्वैच्छाचारी मनमाना एवं विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार राजस्व भादरा ने धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए तावान एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से अपीलाण्ट को दण्डित किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है। अपीलाण्ट द्वारा वाद प्रस्तुत करने मात्र से राजकीय भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं हो जाते हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सिविल कारावास की सजा एक कठोर सजा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को भी लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं ऐसे में सजा को कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार तीन माह की सजा की हद तक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है लेकिन अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है इसलिए शेष अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपर जिला कलक्टर नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2014 व नायब तहसीलदार राजस्व भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.03.2014 तीन माह के सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किये जाते हैं तथा बेदखली एवं तावान की हद तक निर्णय यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार भादरा शेष अपीलाधीन निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

